संख्या-63/2025/I/1020045/2025/71-2099/263/2021-1

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
हृदय रोग संस्थान,
कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक-09-07-2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-हरोस/2025-26/2136, दिनांक 24.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासनादेश दिनांक 22.04.2025 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 2025.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए आगामी तीन माहों हेतु धनराशि रू0 1610.00 लाख तथा लंबित बिलों के भुगतान हेतु धनराशि रू0 362.14 लाख तथा इस प्रकार कुल धनराशि रू0 1972.14 लाख (रुपये उन्नीस करोड़ बहत्तर लाख चौदह हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता-अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1972.14 लाख (रुपये उन्नीस करोड़ बहत्तर लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
3. निदेशक, संस्थान का दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/ समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे।
4. उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु (नियमावली 2013) यथासंशोधित में विहित व्यतवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि के 75 प्रतिशत के उपभोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-35/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।
7. धनराशि को कोषागार से संबंधित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 19,72,14,000 (रुपये उन्नीस करोड़ बहत्तर लाख चौदह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050368 आसाध्य रोगो के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-39-/दस-2025-26, दिनांक 08.07.2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-63/2025/I/1020045/2025/71-2099/263/2021-1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
7. वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
8. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।